कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण ,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
परिपत्र सं0–वा0क0अधि0 / चल–अचल सम्पत्ति / 3108 / 2023 दिनांकः 11 सितम्बर, 2023

–:परिपत्रः–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कृपया राज्य कर अनुभाग–3 के पद संख्या–1193 / 11–3–2023 दिनांक 29.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा, कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–9 / 2023 / 4018 / सामान्य / सैंतालीस–का–4–2023 दिनांक 18.08.2023 के साथ चल–अचल सम्पत्ति का संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

उक्त के संबंध में निर्देशानुसार अवगत कराना है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 29.08.2023 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल–अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आप अपने अधीनस्थ कार्यरत् अधिकारियों / तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चल–अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक दर्ज कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः: राज्य कर अनुभाग–3 के पत्र दिनांक 29.08.2023
के साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 18.08.2023
का चल–अचल सम्पत्ति का प्रारुप।

11.9.2023

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रशासनिक अधिकारी / स्थापना पटल–2 मुख्यालय।
3. वरिष्ठ सहायक (विवरण), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय में कार्यरत् अधिकारियों / तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चल–अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 से पूर्व दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-1193 /11-3-2023

प्रेषक,

सुनील यादव,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- निबन्धक,
वाणिज्यकर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 29 अगस्त,2023

विषयः-मानव सम्पदा पोर्टल पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-4 का पत्र संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 18-08-2023 की प्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

3108
30/8/23

संख्या-1193(1)/11-3-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अनुभाग अधिकारी,राज्य कर अनुभाग/राज्य कर(लेखा) अनुभाग को अपर मुख्य सचिव,कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 11.08.2023 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि पत्र में की गई अपेक्षानुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप पर राज्य कर अनुभाग-3 को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

N.D.I

30/08/2023

Scanned with OKEN Scanner

1193/11-3-23

मानव संपदा पोर्टल
शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2023

विषय:- मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राज्य कर्मचारियों को समयबद्ध सुरक्षित त्वरित तथा पारदर्शी सेवायें प्रदान करने के संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से सरकारी सेवकों के सेवा संबंधी कार्य किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-7/2023/293/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक अपनी चल एवं अचल सम्पति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए।

3- कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुये यह भी अवगत कराया जाए कि पोर्टल पर दिनांक 31.12.2023 तक चल एवं अचल सम्पति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा इस संबंध में दिनांक 01.01.2024 एवं उसके पश्चात होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुये, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त परिधिगत अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता http//shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

22/8/23

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/ सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0 पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन0 आई0 सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http//shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता http//shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

चल / अचल सम्पत्ति का विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21
घोषणा पत्र का प्रारूप
(नियम-24)

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हो)

मै एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नही है। यदि उसके पश्चात मै कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा तो मै संबंधित अवधि की वार्षिक योजना मे उस तथ्य को घोषित करूँगा।

हस्ताक्षर...
पूरा नाम ....
पूरा पदनाम ....
दिनांक ....

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिए जो अचल सम्पत्ति के स्वामी है)

मै एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है :-

भू-सम्पत्ति

भूमि जिस जिले मे है	गाँव/तहसील	क्षेत्रफल एकड़ मे	अर्जित या पैतृक यदि हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

....

गृह-सम्पत्ति

क्रमसं०	गृह, ग्राम, कस्बा या नगर	पो० स्थित जिला	गृह की संख्या	भवन अर्जित या पैतृक है तो अर्जित करने का दिनांक	भवन स्वयं के प्रयोजन के लिए / काम मे आता है अथवा किराये पर दिया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

....

यदि मै भविष्य मे और अचल सम्पत्ति अर्जित करुगा तो संबंधित अवधि की वार्षिक योजना मे तथ्य की घोषणा करूँगा।

हस्ताक्षर...
पूरा नाम ....
पूरा पदनाम ....
दिनांक ....

Scanned with OKEN Scanner

(2)

अवशेष अचल सम्पत्ति में बंधक या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्ति भी सम्मिलित है।

किसी भी अधिकारी की पत्नी या उनके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो या साथ रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, रखी गयी या उसकी ओर से अर्जित की जानेवाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गयी तथा उसके द्वारा की गयी समझी जायेगी।

(ग)

उन लोगों के लिए जिनके अंश या विनिधान नहीं है मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान (स्वामी नहीं हूँ) इसके पश्चात यदि मैं कोई अंश अर्जित करता हूँ तो मैं संबंधित अवधि के लिए पंचवर्षीय योजना में उस तथ्य को घोषित करुंगा।

हस्ताक्षर.................................

पूरा नाम ....

पूरा पदनाम ....

दिनांक ....

उन व्यक्तियों के लिए जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो। मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे निम्नलिखित अंश एवं विनिधान है :-

अंश

क्र०सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशो की संख्या	अंशो का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान

क्र०सं०	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता हूँ या अन्य विनिधान करता हूँ तो मैं संबंधित अवधि के लिए वार्षिक योजना में उस तथ्य को घोषित करुंगा।

हस्ताक्षर.................................

पूरा नाम ....

पूरा पदनाम ....

दिनांक ....

Scanned with OKEN Scanner